प्रेस विज्ञप्ति
28.06.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर कार्यालय ने जम्मू-कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के पोषण और प्रसार के लिए अवैध धन प्राप्त करने के लिए नशीले पदार्थों की दवाओं की बिक्री और तस्करी से संबंधित एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत श्रीनगर के बेमिना में स्थित एक अचल संपत्ति यानी आवासीय घर को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिसकी कीमत 1.50 करोड़ रुपये है।

ईडी ने हंदवाड़ा चौकी पर जांच के दौरान जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा 06 किलोग्राम हेरोइन के साथ अब्दुल मोमिन पीर की गिरफ्तारी और 20 लाख रुपये की नकद राशि की जब्ती के बाद एनआईए जम्मू द्वारा दायर एफआईआर और आरोप पत्र के आधार पर जांच शुरू की। इसके अलावा, एनआईए ने उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों से 1.15 करोड़ रुपये नकद और 15 किलोग्राम हेरोइन भी जब्त की थी।

ईडी की जांच से पता चला है कि अब्दुल मोमिन पीर अपने रिश्तेदारों इस्लाम-उल-हक पीर, सैयद इफ्तिखार अंद्राबी, सैयद सलीम अंद्राबी और सहयोगियों के साथ मिलकर आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लंबे समय से अवैध नशीली दवाओं के व्यापार में शामिल था। इसी तरह के मामलों में जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा दो बार गिरफ्तार किया गया। ईडी ने अपनी जांच के दौरान श्रीनगर के बेमिना में संपत्ति यानी आवासीय घर की पहचान अवैध ड्रग व्यापार से उत्पन्न अपराध के आगम के रूप में की है। उक्त संपत्ति उनकी पत्नी सैयद सदफ अंद्राबी के नाम पर नशीली दवाओं के व्यापार से अर्जित अपराध के आगम के माध्यम से खरीदी गई थी और इसलिए इसे तदनुसार कुर्क किया गया है।

आगे की जांच जारी है।